

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
 <u>ओबिदा</u> बनाम <u>जनपरी लाल</u> मु.नं. <u>30/24</u>
	<p> <u>24.1.25</u> पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पार्थिव का प्रार्थना पत्र अर्जेंट द्वारा 212 शकस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विद्वत निर्णय पत्र से लिखवाया जाकर शांति कावली किया गया। पत्रावली फल शुभार लेकर मूल वाद उभय सत्पी है। </p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) </p>